**उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।**
**पत्रांक 5541 /लेखा/2016—17 दिनांक 28.01.17**

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या—सी—99/लेखा/16—17 दिनांक 24.11.16 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शाखाओं द्वारा वसूली की धनराशि मुख्यालय को प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में यह निर्देश दिए गए थे कि सभी शाखाएं वसूली की धनराशि का 80 प्रतिशत धन प्रतिदिन मुख्यालय भेजेंगी तथा शेष 20 प्रतिशत धनराशि का उपयोग उनके द्वारा ऋण वितरण, प्रबन्धकीय व्यय व अन्य व्ययों में नियमानुसार किया जाएगा। यह व्यवस्था दिनांक 01.01.17 से प्रभावी थी।

उक्त व्यवस्था की मुख्यालय स्तर पर समीक्षा करने के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि बैंक की शाखाओं द्वारा उक्त प्रश्नगत परिपत्र दिनांक 24.12.16 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। दिनांक 12 से 21 जनवरी 2017 के आंकडों के परीक्षण से यह विदित हुआ कि बैंक की शाखाओं द्वारा अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि मुख्यालय प्रेषित की गई है, जबकि उन्हें वसूली की गई धनराशि का 80 प्रतिशत मुख्यालय को प्रेषित करना था। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। इससे एक ओर मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है तथा दूसरी ओर शाखाओं का यह कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। ऐसा आभास हो रहा है कि सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के सम्बन्ध में शाखाओं पर न तो प्रभावी कार्यवाही हो पा रही है और न ही उनका वित्तीय अनुशासन पर कोई प्रभावी नियंत्रण है।

अतः एतद्द्वारा पुनः यह निर्देश दिए जाते है कि मुख्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्रांक सी—99/लेखा/16—17 दिनांक 24.12.16 पर दिए गए निर्देशों के अनुरूप दिनांक 31.01.17 तक माह जनवरी 2017 में वसूल की गई धनराशि का 80 प्रतिशत धनराशि अनिवार्य रूप से मुख्यालय को प्रेषित कर दें। यदि माह फरवरी में उक्त प्रकरण की समीक्षा के दौरान पुनः यह पाया गया कि किसी शाखा प्रबन्धक द्वारा वसूल की गई धनराशि निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप मुख्यालय प्रेषित नहीं की गई है तो तद्नुसार उनके विरूद्ध अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रबन्ध निदेशक से सन्दर्भित किया जाएगा।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दें।

28/1/17

**(ए0के0शुक्ला)**
**महाप्रबन्धक**

**प्रतिलिपिः—<u>निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>**

1— समस्त मण्डल पर्यवेक्षक उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक, को इस आशय के साथ कि वह दिनांक 31.01.17 तक उक्त परिपत्र में दिए गए व्यवस्थाओं के अनुरूप वसूली से सम्बन्धित धनराशि मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित कराएं।
2— मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन) प्र0का0लखनऊ, को सूचनार्थ।
3— उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल)को बैंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4— प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।

**महाप्रबन्धक**